

04/9/2020 कोविड - 19 संक्रमण के कारण ईकाई पेशी ही जाने पर पत्रावली आज पेश हुई।
वकुलाय उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्तव
आदेश दिनांक 23-9-2020 को पेश हो।


26-11-2020

वकील वाडीगण द्वारा ~~उक्त~~ प्रावपत्र मिसल तलब
पेश करने पर पत्रावली ईकाई तारीख पेशी
दिनांक 03-2-21 से तलब की जाकर आज
पेश हुई। वकुलाय उभयपक्ष अपने प्रकरण में
बदस वकुलाय उभयपक्ष पुनः सुनी गयी। वरवक्त
बदस वकुलाय उभयपक्ष ने मुताबिक राशीनामा
प्रकरण डिक्री भिजे जाने का निवेदन किया।

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तालीम
में जारी हुए

पत्रावली क पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व
रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं वसूली
वसूलाय उन्नयन पर सुनार मन्नन किया गया।
चूंकि विवादित पक्षकारों द्वारा राजीनामा पेश
किया जा चुका है जिसे न्यायालय हाजिर करा
तस्वीर भी किया जा चुका है। अतः वाद, वादीगण
भूताविक्र राजीनामा दिनांकित 18-9-2018 स्वीकार
किया जाकर डिफ्री किया जाता है। राजीनामा
दिनांकित 18-9-2018 डिफ्री का भाग रहेगा।
भूताविक्र राजीनामा दिनांकित 18-9-2018 राजस्व
रिपोर्ट में अमल दरामद हो। तदनुसार प्रकरण में
फर्चा डिफ्री जारी हो। पत्रावली फॉल शुमार
होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तस्वीर
दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक
26-11-2020 को मेरे द्वारा दस्तावेजित न्यायालय
मुद्रा सहित खुले न्यायालय में सुनाया गया।



26/11/2020
(शरदेश कुमार)

RAS
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला